दिल्ली प्रशासन में बाल विकास परियोजना अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति

3205. श्री अश्विनी कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों पर अन्य विभागों से अभ्यर्थियों का चयन करके तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं, जबकि इसी विभाग में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग में उन अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से खपाने के लिये भर्ती नियमों में परिवर्तन किये जा रहे हैं;

(ग) क्या विद्यमान नियमों के अधीन पहले से ही नियुक्त किये गये बाल विकास परियोजना अधिकारियों और अधीक्षकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की सेवाओं को कब तक नियमित कर दिये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) योजना का संचालन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारियों सहित योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति भी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा स्वयं की जाती है।

दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उन के समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने विभाग में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद भी अन्य विभागों से उम्मीदवार लेकर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों पर कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों और अधीक्षकों के लिए भर्ती नियम उन्होंने तैयार कर लिये हैं और संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भर्ती नियमों की स्वीकृति मिल जाने और अधिसूचना जारी कर दिए जाने के पश्चात ही बाल विकास परियोजना अधिकारियों और अधीक्षकों को नियमित करने/स्थाई करने पर विचार किया जायेगा।

Kerala Blind School Society, Alwaye Bill, 1987

3206. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kerala Blind School Society, Alwaye (Taking over of Management) Bill, 1987 which was passed by the Kerala legislative Assembly is awaiting the assent of Central Government; and

(b) if so, what are the reasons for not giving the assent?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) The Kerala Blind School Society, Alwaye (Taking Over of Management) Bill, 1987 has been received for obtaining the assent of the President.

(b) The Bill has been examined in consultation with the concerned Central Ministries. Certain clarifications have been sought from the State Government on 20-9-88; which have not yet been received.

3207. [Withdrawn.]